संख्या–688/VI-I/2009–

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेल अनुभाग देहरादून दिनांक : 11 दिसम्बर, 2009

विषयः– खेल विभाग में तदर्थ प्रशिक्षकों का मानदेय एवं चयन प्रकिया निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जनपद स्तर पर खिलाड़ियों के उचित मार्गदर्शन खेल कौशल में वृद्धि हेतु, विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण हेतु आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत,उक्त प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण हेतु तैनात किये जाने वाले तदर्थ प्रशिक्षकों का मानदेय निम्नांकित सारिणी के कालम–4 के अनुसार प्रदान किये जाने एंव चयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

02. **तदर्थ प्रशिक्षकों हेतु मानदेयः–**

प्रशिक्षकों की श्रेणी	वर्तमान मानदेय, प्रतिमाह (रू0 में)	संशोधित मानदेय, प्रतिमाह (रू0 में)
01	02	04
ऐसे प्रशिक्षक जिन्होनें ओलम्पिक/विश्व कप प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो	–	14000
ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई, कॉमन वैल्थ एवं एफ्रोएशियन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो	–	12000
अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो	1500	10000
ऐसे प्रशिक्षक जो एन.आई.एस. डिप्लोमाधारी हैं।	1200	7000
ऐसे प्रशिक्षक जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं।	1000	5000
अन्तरविश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी प्रशिक्षक	500	3000

03. **तदर्थ प्रशिक्षकों की प्रस्तावित चयन प्रकिया :–**

तदर्थ प्रशिक्षकों के चयन के लिए जो प्रकिया अपनायी जायेगी, वह सेवाओं की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में 'उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों का अनुसरण करते हुए सुनिश्चित की जायेगी। इस चयन के संदर्भ में संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें संबंधित खेल के विभागीय प्रशिक्षक, जिला कीड़ा अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई स्थानीय खेल विशेषज्ञ एवं संबंधित खेल के मान्यता प्राप्त ओलम्पिक एसोसिऐशन के पदाधिकारी इस समिति में सदस्य होगें। समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजनाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों को प्रतिनिधित्व देने हेतु भी स्थापित नियमों के अनुरूप जिलाधिकारी के द्वारा कार्यवाही की

3234
15/12/09

15/12/09

जायेगी। चयन प्रकिया को अधिक पारदर्शी बनाने के आशय से उनकी योग्यताओं / उपलब्धियों के अनुरूप निम्नानुसार अंक निर्धारित किया जायेगा :–

क.स.	परीक्षा का नाम	परीक्षा में प्राप्त श्रेणी / ग्रेड पर प्रदान किये जाने वाले अंक		
		प्रथम श्रेणी / ग्रेड– 'ए'	द्वितीय श्रेणी / ग्रेड– 'बी'	तृतीय श्रेणी / ग्रेड– 'सी'
1.	हाई स्कूल	03	02	01
2.	इण्टरमीडिएट	03	02	01
3.	एन.आई.एस.डिप्लोमा	07	05	03

क.स.	प्रतियोगिता का नाम	अंक
1.	ओलम्पिक वर्ल्ड कप में पदक विजेता / प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी / प्रशिक्षक	10
2.	एशियाई / कॉमनवैल्थ / एफो एशियन / अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता / प्रतिभाग करने वाले	7
3.	राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता / प्रतिभाग करने वाले	5
4.	अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले	3

04. किसी भी दशा में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को खेल प्रशिक्षक के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा, तथा यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते है, तो अधिकतम् पदक विजित करने वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

05. उपरोक्त प्रस्तर 02 में निर्धारित मानदेय 30 कार्य दिवस हेतु है। यदि किसी कार्य दिवस में कोई प्रशिक्षक अनुपस्थित रहता है, तो उसका उस दिन का मानदेय नहीं प्रदान किया जायेगा।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– /VI-I/2009/दिनांक–

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
4. गोपन मंत्रिपरिषद अनुभाग / वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री / मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला कीड़ाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड शासन।
10. मीडिया सेन्टर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

संख्या– 145 /VI-2/2014–1(11)/2006

प्रेषक,

अमित नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 26 नवम्बर, 2014

विषयः– खेल विभाग में कांट्रेक्ट प्रशिक्षकों की चयन प्रकिया निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–885/त.प्रशि.मा.पत्रा./2009–10 दिनांक 15.01.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–688/VI-I/2009– 1(11)/2006 दिनांक 11.12.2009 द्वारा जनपद स्तर पर खिलाड़ियों के उचित मार्गदर्शन, खेल कौशल में वृद्धि हेतु, विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण हेतु आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत, प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण हेतु तैनात किये जाने वाले कांट्रेक्ट प्रशिक्षकों की चयन प्रकिया हेतु लागू विद्यमान व्यवस्था में संशोधन करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. कांट्रेक्ट प्रशिक्षकों की चयन प्रकिया :–

कांट्रेक्ट प्रशिक्षकों के चयन के लिए जो प्रकिया अपनायी जायेगी, वह सेवाओं की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में 'उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008' के प्राविधानों का अनुसरण करते हुए सुनिश्चित की जायेगी। इस चयन के संदर्भ में संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें संबंधित खेल के विभागीय प्रशिक्षक, जिला कीड़ा अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई खेल विशेषज्ञ एवं संबंधित खेल के मान्यता प्राप्त ओलम्पिक एसोसिऐशन के पदाधिकारी इस समिति में सदस्य होगें। समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजनाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों को प्रतिनिधित्व देने हेतु भी स्थापित नियमों के अनुरूप जिलाधिकारी के द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(क) प्रशिक्षकों की श्रेणी :–

क. स.	प्रशिक्षकों की श्रेणी	मानदेय(रू0 में)
1.	1. अर्जुन/दोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी/प्रशिक्षक, अथवा 2. ओलम्पिक/वर्ल्ड कप में प्रतिभाग कर चुके खिलाड़ी/प्रशिक्षक, अथवा 3. एशियाई/कॉमनवेल्थ/एफ्रो एशियन/सैफ गेम्स में पदक विजेता एवं एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	14,000.00
2.	1. एशियाई/कॉमन वेल्थ/एफ्रो एशियन/सैफ गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी/प्रशिक्षक, अथवा 2. ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाइ, कॉमनवेल्थ एवं एफ्रो एशियन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो एवं एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	12,000.00
3.	1. ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई, कॉमनवेल्थ/एफ्रो एशियन/सैफ ग्रेम्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो, अथवा 2. एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाडी/प्रशिक्षक	10,000.00
4.	ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने सीनियर नेशनल में पदक प्राप्त किया हो	7,000.00

5	सीनियर वर्ग नेशनल में प्रतिभाग/अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक प्राप्तकर्ता/अखिल भारतीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी/प्रशिक्षक	5,000.00
6	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग/सीनियर नॉर्थ जोन में प्रतिभाग/जूनियर नेशनल में पदक/सब जूनियर में पदक/नेशनल स्कूल गेम्स में पदक/एन.आई.एस. सर्टिफिकेट कोर्स/भारतीय सेवा में सर्विसेज/कमाण्ड/अखिल भारतीय पुलिस गेम्स में पदक प्राप्तकर्ता/शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी एक.पी.एड./डी.पी.एड./बी.पी.एड. खिलाड़ी/प्रशिक्षक	3,000.00

चयन प्रकिया को अधिक पारदर्शी बनाने के आशय से उनकी योग्यताओं/उपलब्धियों के अनुरूप निम्नानुसार अंक निर्धारित किया जायेगाः–

(ख) खेल उपलब्धियां :–

क.स.	प्रतियोगिता का नाम	अंक
1.	1. अर्जुन/दोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी/प्रशिक्षक, अथवा 2. ओलम्पिक/वर्ल्ड कप में प्रतिभाग कर चुके खिलाड़ी/प्रशिक्षक अथवा 3. एशियाई/कॉमन वेल्थ एफ्रो एशियन/सैफ गेम्स में पदक विजेता एवं एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	10
2.	3. एशियाई/कॉमन वेल्थ एफ्रो एशियन/सैफ गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी/प्रशिक्षक, अथवा 4. ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई, कॉमन वेल्थ एवं एफ्रो एशियन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो एवं एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	9
3.	3. ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई, कॉमनवेल्थ, एफ्रो एशियन/सैफ ग्रेम्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो, अथवा 4. एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	8
4.	ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने सीनियर नेशनल में पदक प्राप्त किया हो	6
5	सीनियर वर्ग नेशनल में प्रतिभाग/अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक प्राप्तकर्ता/अखिल भारतीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी/प्रशिक्षक	5
6	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग/सीनियर नॉर्थ जोन में प्रतिभाग/जूनियर नेशनल में पदक/सब जूनियर में पदक/नेशनल स्कूल गेम्स में पदक/एन.आई.एस. सर्टिफिकेट कोर्स/भारतीय सेवा में सर्विसेज/कमाण्ड/अखिल भारतीय पुलिस गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी/प्रशिक्षक	3
7	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी एम.पी.एड. /डी.पी.एड/बी.पी.एड़. खिलाड़ी /प्रशिक्षक	2

(ग) शैक्षिक उपलब्धियां :–

क. स.	परीक्षा का नाम	परीक्षा में प्राप्त श्रेणी/ग्रेड पर प्रदान किये जाने वाले अंक		
		प्रथम श्रेणी/ग्रेड– 'ए'	द्वितीय श्रेणी/ग्रेड–'बी'	तृतीय श्रेणी/ग्रेड– 'सी'
1.	हाई स्कूल	03	2.5	02
2.	इण्टरमीडिएट	03	2.5	02
3.	एन.आई.एस.डिप्लोमा	07	05	03

3. कांट्रेक्ट प्रशिक्षक के रूप में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः 21 वर्ष एवं 70 वर्ष (शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए) निर्धारित की जाती है। कांट्रेक्टप्रशिक्षक के चयन में यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते है, तो अधिकतम् पदक विजित करने वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

भवदीय

(अमित नेगी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या— /VI-2/2014—1(11)/2006, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला क्रीड़ाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव

संख्या– 456 / VI / 2015–1(11) / 2006

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग देहरादूनः दिनांक 11 ~~दिसम्बर, 2015~~ जनवरी 2016

विषय : खेल विभाग में कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों का मानदेय वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–513 / तदर्थ प्रशि0मा0पत्रा0 / 2005–06, दिनांक 20 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–688 / VI–I / 2009–1(11) / 2006, दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या–145 / VI–2 / 2014–1(11) / 2006, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा खेल विभाग में कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों को दी जा रही मानदेय की दरों को संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार मानदेय की दरों को पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र.सं	प्रशिक्षकों की श्रेणी	मानदेय (₹ में)
1	1. अर्जुन / द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी / प्रशिक्षक, अथवा 2. ओलम्पिक / वर्ल्ड कप में प्रतिभाग कर चुके खिलाड़ी / प्रशिक्षक, अथवा 3. एशियाई / कॉमनवेल्थ / एफ्रो एशियन / सैफ गेम्स में पदक विजेता एवं एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी / प्रशिक्षक	20000
2	1. एशियाई / कॉमनवेल्थ / एफ्रो एशियन / सैफ गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी / प्रशिक्षक अथवा 2. ऐसे खिलाड़ी / प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई, एशियाई / कॉमनवेल्थ / एफ्रो एशियन प्रतिभाग में प्रतिभाग किया जो एवं एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी / प्रशिक्षक	17000
3	1. ऐसे खिलाड़ी / प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई कॉमनवेल्थ / एफ्रो एशियन / सैफ गेम्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो, अथवा 2.एन.आई.एस से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी / प्रशिक्षक	14000
4	ऐसे खिलाड़ी / प्रशिक्षक जिन्होंने सीनियर नेशनल में पदक प्राप्त किया हो	10000
5	सीनियर वर्ग नेशनल में प्रतिभाग / अखिल भारतीय अन्तर्विश्विविद्यालय प्रतियोगिता में पदक प्राप्तकर्ता / अखिल भारतीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी / प्रशिक्षक	7000
6	अखिल भारतीय अन्तर्विश्विविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग / सीनियर नॉर्थ जोन में प्रतिभाग / जूनियर नेशनल में पदक / सब जूनियर में पदक / नेशनल स्कूल गेम्स में पदक / एन.आई.एस सर्टीफिकेट कोर्स / भारतीय सेवा में सर्विसेज / कमाण्ड / अखिल भारतीय पुलिस गेम्स में पदक प्राप्तकर्ता / शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी एक पी0एड0 / डी0पी0एड0 / बी0पी0एड0 खिलाड़ी / प्रशिक्षक	5000

2. कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय की संशोधित दरें शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू मानी जायेगी।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 11.12.2009 तथा शासनादेश दिनांक 26.11.2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या--285(P)/XXVI(3)/2015--16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या-- / VI / 2015--1(11) / 2006, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 खेल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला क्रीड़ाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या–297/VI/2018–1(11)/2008

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग देहरादून : दिनांक 24 जुलाई, 2018

विषय : खेल विभाग में कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया में संशोधन/विलोपित विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–145/VI–2/2014–1(11)/2006, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित (क) प्रशिक्षकों की श्रेणी के क्रमांक संख्या–6 एवं (ख) खेल उपलब्धियां के क्रमांक संख्या–7 को निम्न प्रकार से संशोधित/विलोपित करने का निर्णय लिया गया हैं :–

कॉलम–1 (पूर्व नियम)	कॉलम–2 (यथा–संशोधित नियम)
1	2
"अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग/सीनियर नॉर्थ जोन में प्रतिभाग/जूनियर नेशनल में पदक/सब जूनियर में पदक/नेशनल स्कूल गेम्स में पदक/एन.आई.एस. सर्टिफिकेट कोर्स/भारतीय सेवा में सर्विसेज/कमाण्ड/अखिल पुलिस गेम्स में पदक प्राप्तकर्ता/शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी एम.पी.एड./डी.पी.एड/बी.पी.एड खिलाड़ी/प्रशिक्षक"	*"अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग/सीनियर नॉर्थ जोन में प्रतिभाग/जूनियर नेशनल में पदक/सब जूनियर में पदक/नेशनल स्कूल गेम्स में पदक/एन.आई.एस. सर्टिफिकेट कोर्स/भारतीय सेवा में सर्विसेज/कमाण्ड/अखिल पुलिस गेम्स में पदक प्राप्तकर्ता/खिलाड़ी/प्रशिक्षक"*
"शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी एम.पी.एड./डी.पी.एड/बी.पी.एड खिलाड़ी/प्रशिक्षक"	–विलोपित–

क्रमशः–2/–

F:\August 2015\misc folder\Letter.doc.doc

2- उक्त शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या- /VI/2018-1(11)/2008, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख निजी सचिव/निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव/निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 खेल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला क्रीड़ाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून/स्पोर्ट्स कॉलेज, पिथौरागढ़।
9. एन.आई.सी.,सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

P:\August 2015\misc folder\Letter.doc.doc